



**महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय**  
**Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya**  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



प्रो. आनन्द पाटील  
कुलसचिव (कार्यवाहक)  
**Prof. Anand Patil**  
Registrar (Acting)

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902  
ई-मेल / E-mail : registrar@mgahv.in

पत्रांक : 008/2022-23/00/132/85  
दिनांक : 22.10.2024

परिपत्र


विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अतिथियों के सत्कार हेतु स्मृति चिह्न, सूतमाला एवं अंगवस्त्र की मांग की जाती है, जिसकी पूर्ति भंडार एवं क्रय विभाग द्वारा की जाती है। विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों के सत्कार के लिए भी उपर्युक्त का उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नांकित व्यवस्था की जाती है -

1. स्मृति चिह्न, सूतमाला एवं अंगवस्त्र की मांग कार्यक्रम से कम-से-कम 10 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से की जाएगी। पत्र में कार्यक्रम का नाम, सत्कार हेतु बाह्य अतिथियों के नाम, आवश्यक सामग्री की संख्या और औचित्य (Justification) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों (सांविधिक अधिकारियों को छोड़कर) के सत्कार हेतु स्मृति चिह्न, सूतमाला एवं अंगवस्त्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।
3. अध्यापकों एवं अधिकारियों के सत्कार हेतु आयोजक विभाग के स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था (यथा - तुलसी का पौधा, फूल का पौधा, किसी महापुरुष की फोटो, पुस्तक आदि) की जाएगी।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, प्रभारी एवं नियंत्रणाधिकारी उपर्युक्तानुसार कार्रवाई करेंगे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जाता है।

  
(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु (ई-मेल द्वारा) :

- 1) कुलपति कार्यालय
- 2) कुलसचिव कार्यालय
- 3) समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, निदेशक, प्रभारी एवं नियंत्रणाधिकारी
- 4) विश्वविद्यालय के समस्त अध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारी
- 5) लीला प्रभारी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6) संबंधित फाइल